

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 08.07.2026

विषय :- विधान मंडलीय सत्रावधि में विधायी कार्यों का समयानुकूल निष्पादन।

महाशय,

बिहार विधान मंडल का मानसून-सत्र दिनांक-20 जुलाई, 2026 से प्रारम्भ होने जा रहा है, इसके पूर्व सभी विभागों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है :-

1. अपने विभाग से संबंधित विधान सभा/विधान परिषद् के लंबित प्रश्नों/ध्यानाकर्षण सूचनाओं/निवेदनों तथा आश्वासनों का उत्तर निश्चित रूप से समय पर भेजने की व्यवस्था की जाय एवं उसकी प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी दी जाय। साथ ही वर्तमान सत्र में आने वाले प्रश्नों का उत्तर समय पर भेजा जाय और प्रश्नोत्तर के समय पूरी जानकारी के साथ अपने विभागीय पदाधिकारी को विधान सभा/विधान परिषद् में उपस्थित रहने का भी निदेश दिया जाए।
2. सत्रकाल के दौरान विधान मंडल सचिवालय से निर्गत पत्रों को कार्यालय अवधि के बाद भी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। छुट्टी के दिनों में भी ऐसी व्यवस्था हो कि इन पत्रों की प्राप्ति की जा सके। विधान मंडल सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग को तदनुसार सूचित किया जाय।
3. इस सत्र में विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्ययक विवरणी का उपस्थापन, वाद-विवाद एवं सरकार को उत्तर देना है। अतः वित्त विभाग से सतत सम्पर्क बनाए रखा जाय तथा अपने-अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर वाद-विवाद के समय विभाग के सक्षम पदाधिकारी, पदाधिकारी दीर्घा में उपलब्ध रहें, इसे सुनिश्चित किया जाय।
4. विधान सभा/विधान परिषद् में राजकीय विधेयक एवं विधायी कार्य हेतु समय निर्धारित है। यदि आपके विभाग से संबंधित कोई विधेयक सदन में लाने का प्रस्ताव हो तो विधि विभाग से तुरंत सम्पर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय। साथ ही, प्रख्यापित अध्यादेशों को अधिनियमित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

यह भी अनुरोध है कि अपने विभाग के विधान मंडलीय कार्यों के प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष/मोबाईल नं0 की सूचना संसदीय कार्य विभाग को विधान मंडल सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)